(क) क्‍या सरकार को जानकारी है कि प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते व्‍यक्तिगत पहचान संख्‍याओं का वितरण नहीं किए जाने और इन संख्‍याओं के एक्टिवेट नहीं किए जाने के कारण चालू नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस पर सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने हेतु क्‍या-क्‍या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)

**(क) और (ख):** जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खाते व्‍यक्तिगत पहचान संख्‍याओं (पिन) को वितरित न किए जाने तथा उन्‍हें सक्रिय न किए जाने के कारण चालू नहीं हो पाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी शर्तों में यह निर्दिष्‍ट है कि पिन जारी करते समय बैंक सावधानी बरतेगा तथा उनके लिए यह बाध्‍यकारी है कि वे कार्डधारक के अलावा पिन की जानकारी किसी और को न दे। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों में ग्राहक बैंक मित्रों तथा बैंक शाखाओं के जरिए राशि जमा कर सकते हैं। यदि रूपे कार्ड पिन उपलब्‍ध न हो तो बैंक मित्र स्‍तर पर बायोमेट्रिक का प्रयोग करके तथा बैंक शाखाओं में भी आहरण किए जा सकते हैं।

**(ग):** सरकार ने दो बीमा योजनाएं- प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा एक पेंशन योजना – अटल पेंशन योजना (एपीवाई) आरंभ की है, जिसका प्रीमियम/अंशदान बैंक खाते में उपलब्‍ध शेष राशि से डेबिट किया जाता है।
दिनांक 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार, 67.30 प्रतिशत खाते शून्‍य शेष राशि वाले खाते थे दिनांक 15.07.2015 की स्थिति के अनुसार इसकी प्रतिशतता कम होकर 50.56 प्रतिशत हो गई है। प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण जमा किए जाने तथा वित्‍तीय साक्षरता के प्रसार से ये खाते और परिचालनीय होंगे।

\*\*\*\*\*